Academic Calendar: 2023-24
सत्र 2023–24 हेतु शैक्षिक कैलेण्डर

As per G.O No-1058/सत्तर–1–2023–16(11)/2014 टी0सी0–II दिनांक–17 जुलाई, 2023

क्रम सं0	शैक्षणिक सत्र 2023–24 का प्रवेश/परीक्षा/शिक्षण कार्यक्रम	दिनांक
प्रथम सेमेस्टर (Odd Semester)		
1	प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि	24/07/2023
2	प्रथम सेमेस्टर में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए दीक्षारंभ कार्याक्रम (One Week Student Induction Programme-SIP as per UGC guidelines before/after classes, Session will decide as per time table of HEI)	25/07/2023 से 30/07/2023
3	सेमेस्टर में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये शिक्षण कार्य प्रारम्भ	25/07/2023
4	सेमेस्टर का शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि (15 सप्ताह/90 दिवस)	02/11/2023
5	सेमेस्टर की प्रायोगात्मक परीक्षाये पूर्ण होने की तिथि*	10/11/2023
6	सेमेस्टर की परीक्षायें (40 दिन)	11/11/2023 से 20/12/2023
7	शीतावकाश (15 दिन)	21/12/2023 से 05/01/2024
8	सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम द्योषित होने की अंतिम तिथि	10/01/2024
तृतीय, पंचम एवं सप्तम सेमेस्टर (Odd Semester)		
9	सेमेस्टर का शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	17/07/2023
10	सेमेस्टर का शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि (15 सप्ताह/90 दिवस)	02/11/2023
11	सेमेस्टर की प्रायोगात्मक परीक्षाये पूर्ण होने की तिथि*	10/11/2023
12	सेमेस्टर की परीक्षायें	11/11/2023 से 20/12/2023
13	सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम द्योषित होने की अंतिम तिथि	10/01/2024
द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठम एवं अष्ठम सेमेस्टर (Even Semester)		
14	सेमेस्टर का शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	06/01/2024
15	सेमेस्टर का शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि (15 सप्ताह/90 दिवस)	15/04/2024
16	सेमेस्टर की प्रायोगात्मक परीक्षाये पूर्ण होने की तिथि*	20/04/2024
17	सेमेस्टर की परीक्षायें	21/04/2024 से 30/05/2024
18	सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम द्योषित होने की अंतिम तिथि	25/06/2024
19	ग्रीष्मावकाश (30 दिन)	01/06/2024 से 30/06/2024

*सेमेस्टर प्रयोगात्मक परीक्षायें शिक्षण के अंतिम माह में आरम्भ कर दी जायें।

amisha
(कुलसचिव)

शैक्षिक सत्र 2023–24 के शैक्षिक कैलेण्डर के सम्बन्ध में निर्गत आदेश

सं0–1058/सत्तर–1–2023–16(11)/2014 टी0सी0–॥ दिनांक 17 जुलाई, 2023 के माध्यम से जारी दिशा निर्देश

नोट–

1. *सेमेस्टर प्रयोगात्मक परीक्षायें शिक्षण के अंतिम माह में आरम्भ कर दी जायें।
2. विभिन्न प्रकार की गैर–शैक्षणिक गतिविधियॉं शिक्षण कार्य को प्रभावित किये बिना पूर्ण की जायें।
3. किसी भी परिस्थिति में शिक्षण दिवस कम होने पर शिक्षण कार्य अतिरिक्त कक्षायें/ऑनलाइन कक्षायें संचालित कर पूर्ण की जायें।
4. द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्टम सेमेस्टर के कक्षायें परीक्षायें समाप्त होने के बाद समय पर आरम्भ कर दी जायें। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर के विद्यार्थियों का प्रवेश पूर्व सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन में कक्षाओं के समय के पश्चात पूर्ण किया जाये।
5. विश्वविद्यालय परीक्षायें वर्ष में दो बार 11.11.23 से 20.12.23 (Odd Semester) एवं 21.04.24 से 30.05.24 (Even Semester) आयोजित की जायेंगी। विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए महाविद्यालयों को केन्द्र बनाया जाता है, जिससे उस महाविद्यालय का कार्य प्रभावित होता है। अतः विश्वविद्यालय द्वारा अन्य किसी भी प्रकार की परीक्षा निर्धारित समय में ही आयोजित की जायेंगी। परीक्षा के लिए निर्धारित समय के अतिरिक्त किसी भी समय में कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी। परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय में होने वाली अन्य परीक्षाओं के परीक्षा कार्यकम इस तरह बनायेंगे कि वे परीक्षा के लिए निर्धारित समय में पूर्ण हों विशेष परिस्थिति में अनुमति के लिए शासन को पत्र प्रेषित किया जायेगा। निर्धारित समय के पूर्व/पश्चात परीक्षायें संचालित होने पर संबंधित विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक जिम्मेदार होंगे।
6. प्रवेश कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व संबंधित कुलसचिव का होगा किसी भी प्रकार की देरी के लिए कुलसचिव व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।
7. एन0ई0पी0–2020 के अनुसार विद्यार्थियों का सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE) कराया जाना है, जिसे शिक्षक शिक्षण कार्य के साथ पूर्ण करेंगे। विश्वविद्यालय सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE) के लिए किसी भी प्रकार का मिड टर्म परीक्षाये आयोजित नहीं करेंगे। सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE) के लिए शिक्षक मूल्यांकन

के लिए परीक्षाओं के स्थान पर शासनादेश संख्या–2058/सत्तर–3–20
–08(33)/2020 टी0सी0, दिनांक 26–08–2023 में दिये गये सुझावों के आधा
पर विद्यार्थियों का सर्वांगीण मूल्यांकन करेंगे। कोरोना जैसी प्राकृतिक आपदा की
स्थिति में सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE) के अंकों का प्रयोग किया जा सकता
है। सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE) में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा
नियंत्रक नीति निर्धारित करेंगे।

8. प्रायोगिक परीक्षा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी शिक्षण संस्थान (विश्वविद्यालय कैम्पस एवं महाविद्यालय) अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल पर प्रायोगिक परीक्षाओं की लाइव स्ट्रीमिंग/अपलोड करेंगे, जो संस्थान के चैनल पर उपलब्ध रहेगी। सभी संस्थान निःशुल्क अपना यूट्यूब चैनल बनायेंगे, जिस पर अन्य विविध गतिविधियों को भी अपलोड कर सकते हैं।
9. वर्तमान समय में लिखित/वर्णानात्मक (Descriptive) परीक्षा एवं बहुउत्तरीय (MCQ) परीक्षा का अपना–अपना महत्व है। लिखित परीक्षा से विद्यार्थी अपने ज्ञान को अनेकों प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन बहुउत्तरीय (MCQ) के आधार पर किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परीक्षा/परीक्षा परिणाम समयान्तर्गत पूर्ण करने के लिए विषम (ODD) सेमेस्टर की परीक्षा लिखित/ वर्णानात्मक (Descriptive) प्रकार से एवं सम (EVEN) सेमेस्टर की परीक्षा बहुउत्तरीय (MCQ) प्रकार से सम्पादित की जा सकती है।
10. शासनादेश संख्या–600/सत्तर–1–2019–16(114)/2010 दिनांक 28.06.2019 के बिन्दु संख्या 09 के अनुसार यू0जी0सी0–2018 के बिन्दु संख्या 8.1 में वर्णित व्यवस्था अनुसार शिक्षक को अधिकतम 30 दिवस का कार्यवकाश (Duty leave-DL) दिया जा सकता है, जिसमें शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित विभिन्न प्रकार के कार्य करेंगे। किसी भी दशा में शिक्षण दिवसों को कम नहीं किया जाये।

भवदीय

(एम0पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।